


प्रति

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय अधीक्षण अभियंता(सिविल) निर्माण
1X500 में.वा. कोरबा पश्चिम



विषय— जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी देने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि निम्नलिखित जानकारी प्रदाय करने की कृपा करे—

1. 1X500 में.वा. कोरबा पश्चिम से प्रभावित व्यक्तियों को छ0ग0 पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार ही भत्ता/रोजगार दिया जा रहा है, अथवा नहीं ?
2. 1X500 में.वा. कोरबा पश्चिम से प्रभावित नामांकित व्यक्ति श्री सुंदरलाल पिता श्री रामलाल एवं श्री सूबचंद पिता नत्थूलाल को किस-किस खाते से नौकरी दिया गया, उक्त खातेदारों के नाम एवं क्या उक्त खातों को तहसीलदार, एस.डी.एम. एवं कलेक्टर कार्यालय द्वारा पात्र प्रतिवेदित किया गया था। साथ ही यह बताने का कष्ट करें कि पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार धारा प्रकाशन के तीन वर्ष पूर्व क्या ये दोनों खाता अलग-अलग थे ?
3. पंकजसिंह एवं अर्जुनसिंह को किस-किस खाते से नौकरी दिया गया है, उक्त खातेदारों के नाम एवं क्या उक्त दोनों खाते समान खातें हैं ?
4. पुरानसिंह पिता श्री बिपतराम, तिरिथराम पिता श्री सुखीराम एवं चतुरसिंह पिता श्री सीपतराम को जिस खाते से भत्ता दिया जा रहा है, क्या ये तीनों खाते धारा प्रकाशन के तीन वर्ष पूर्व अलग-अलग खाते थे ?
5. शिवपालसिंह एवं धुरपालसिंह को जिस जिस खाते से भत्ता दिया जा रहा है उन दोनों खातेदारों के नाम एवं क्या यह खाता समान खाता है ?
6. 1X500 में.वा. कोरबा पश्चिम से प्रभावित भू-विस्थापितों को न्यूनतम कितनी जमीन पर भत्ता/नौकरी प्रदान की गई है ?

संलग्न : रू 10/- पोस्टल आर्डर,
क्रमांक-42F 257472

दिनांक- 21/04/17.

भवदीय

Bahy

गोपालप्रसाद साहू

ग्राम-बिरवट, पो. आ.-'गोपालपुर
तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा(छ.ग.)

प्रतिलिपि:

1. कार्यपालक निदेशक (उत्पादन), ह.ता.वि.गृ. छराविउकंमर्या., कोरबा पश्चिम।

55 26/4/17
OAT
H
PC
24/4/17
Forward to Sh. Asjir
CC to Manguta
S. S. Prasad

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
CIN: U40108CT2003SGC015821

सी एस पी जी सी एल
CPGCL

क्रमांक 017-22/1X500मेवा/ 21

कोरबा पश्चिम, दिनांक 28/04/17

प्रति,

जन सूचना अधिकारी,
कार्या.:-मुख्य अभियंता (मा.संसा.),
छ0रा0वि0उ0क0मर्या0, रायपुर

O/c CE (HR)
C.S.P.G.C.L., RAIPUR
Rect. No. 3589
Date 02.5.17

विषय:-जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी देने बाबत।

संदर्भ:-श्री गोपाल प्रसाद साहू, ग्राम-बिरवट, पो.- गोपालपुर, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

=000=

उपरोक्त विषयांतर्गत श्री गोपाल प्रसाद साहू, ग्राम-बिरवट, पो.-गोपालपुर, तहसील-कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 24-04-2017 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा 1X500मे.वा. विस्तार ताप विद्युत परियोजना कोरबा (पश्चिम) हेतु अर्जित भूमि के एवज में प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित जानकारियां चाही गयी हैं।

- (1) 1X500मे.वा. कोरबा पश्चिम से प्रभावित व्यक्तियों को छ.ग. पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार ही भत्ता/रोजगार दिया जा रहा है, अथवा नहीं ?
- (2) 1X500मे.वा. कोरबा पश्चिम से प्रभावित नामांकित व्यक्ति श्री सुंदरलाल पिता श्री रामलाल एवं श्री सबचंद पिता श्री नत्थूलाल को किस-किस खाते से नौकरी दिया गया, उक्त खातेदारों के नाम एवं क्या उक्त खातों को तहसीलदार, एस.डी.एम. एवं कलेक्टर कार्यालय द्वारा पात्र प्रतिवेदित किया गया था। साथ ही यह बताने का कष्ट करें कि पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार धारा प्रकाशन के तीन वर्ष पूर्व क्या ये दोनों खाता अलग-अलग थे ?
- (3) पंकज सिंह एवं श्री अर्जुन सिंह को किस-किस खाते से नौकरी दिया गया है, उक्त खातेदारों के नाम एवं क्या उक्त दोनों खाते समान खाते हैं ?
- (4) पुरान सिंह पिता श्री बिपतराम, तिरिथराम पिता श्री सुखीराम एवं चतुरसिंह पिता श्री सीपतराम को जिस खाते से भत्ता दिया जा रहा है, क्या ये तीनों खाते धारा प्रकाशन के तीन वर्ष पूर्व अलग-अलग खाते थे ?

DEM-I
M-II
M-III
M-IV

क्रमशः...2....

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र. 03-11/सू.अधि./40-17/ 2178

रायपुर, दिनांक 23-05-17

प्रति,

श्री गोपालप्रसाद साहू,
ग्रा-बिरवट पो.आ.-गोपालपुर,
तहसील-कटघोरा जिला-कोरबा छ.ग.।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक।
संदर्भ:-आपका पत्र क्र. निरंक दिनांक 21.04.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 40-17 दिनांक
03.05.2017

--:000:--

विषयांतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन में चाही गयी जानकारी के तारतम्य में लेख है कि आपके द्वारा पूछे गये सभी प्रश्न Official memorandum of Director of Ministry of Personnel Public Grievances & pessions Department of Personnel & Training North Block, New Delhi के मेमोरेण्डम क्र. 1900/सीएस/09/जीओआई/दिनांक 18.06.2009 के अनुसार ग्राह्य नहीं किए जा सकते। (संलग्न पृष्ठ क्र. 03) अतः आपको जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत उक्त जानकारी के विरुद्ध, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रू. 50/- मात्र का भुगतान कर प्रथम अपील आवेदन निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार है:-

श्री पी.के.अग्रवाल
अपीलीय अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)-एक
कार्यालय- मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर।
दूरभाष-0771-2574883

R. S. B.
23/05/17
(राजीव झा)

जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा.सं.)
कार्या.-मुख्य अभियंता (मा.संसा.),
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771-2574081

CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION CO. LTD.

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) CIN: U40108CT2003SGC015821



क्र. 03-11/सू.अधि./40-17/ 2983

रायपुर, दिनांक 14-07-17

प्रति,

जनसूचना अधिकारी, कार्या.-अधीक्षण यंत्री (सिविल) निर्माण,
1X500 मे.वा. ताप विद्युत परियोजना,
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., कोरबा पश्चिम ।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक।

संदर्भ:-1. आपका पत्र क्र. 017-22/1X500मेवा/199 कोरबा पश्चिम दिनांक 10.07.2017।

2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 03-11/सू.अधि./40-17/2178 दिनांक 23.05.2017।

--:000:--

विषयांतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री गोपालप्रसाद साहू का सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रकरण क्र. 40-17 में वांछित जानकारी उन्हें संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। (छायाप्रति पुनः संलग्न)

R. Jha
(राजीव झा)

जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा.सं.)

कार्या.-मुख्य अभियंता (मा.संसा.),

छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर

दूरभाष क्रमांक 0771-2574081

13/7/17

प्रतिलिपि:-

श्री गोपालप्रसाद साहू, ग्रा-बिरवट पो.आ.-गोपालपुर तहसील-कटघोरा जिला-कोरबा छ.ग. संदर्भित पत्र क्र. 02 की छायाप्रति पुनः प्रेषित है।

Regd. Office: "Vidyut Sewa Bhavan" Dangania, Raipur (C.G.)

Chief Engineer (HR), Shed No. 03, Dangania, Raipur (C.G.) 492013

कार्यालय मुख्य अभियंता (मा0सं0), शेड क्र.-03, डगनिया, रायपुर (छ0ग0) 492013

Tele: 0771-2574408, Fax: 0771-2574035, E-Mail: hr.cspgcl@cspc.co.in Website: www.cspc.co.in/cspgcl